राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक	अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	2846/2024 श्याम सिंह वर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, करौली। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय), करौली। 5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सपोटरा, कारौली। 6. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर (राज.)।	11.09.2024	30.06.2020	श्री हीरालाल गोठवाल, अभिभाषक
2.	2847/2024 प्रकाश चंद गुप्ता	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, करौली। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय), करौली। 5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सपोटरा, कारौली। 6. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर (राज.)।	11.09.2024	30.06.2019	श्री हीरालाल गोठवाल, अभिभाषक
3.	2848/2024 निर्भय सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर। 4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, करौली। 5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय), करौली। 6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सपोटरा, कारौली। 7. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर (राज.)।	11.09.2024	30.06.2021	श्री हीरालाल गोठवाल, अभिभाषक
4.	2849/2024 पूरण लाल जाटव	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. जिला कलेक्टर (भू–अभिलेख), करौली। 3. उप जिला कलेक्टर हिंडौन सिटी, करौली। 4. तहसीलदार (भू–अभिलेख), हिंडौन सिटी, करौली। 5. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर (राज.)।	11.09.2024	30.06.2020	श्री हीरालाल गोठवाल, अभिभाषक
5.	2850/2024 हरि चारण	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. जिला कलेक्टर (भू–अभिलेख), करौली। 3. उप जिला कलेक्टर हिंडौन सिटी, करौली। 4. तहसीलदार (भू–अभिलेख), हिंडौन सिटी, करौली। 5. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर (राज.)।	11.09.2024	30.06.2022	श्री हीरालाल गोठवाल, अभिभाषक
6.	2851/2024 प्रहलाद सिंह सैनी	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, जयपुर। 2. आयुक्त, कृषि आयुक्तालय, जयपुर। 3. निदेशक, कृषि मार्केटिंग विभाग, जयपुर। 4. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, चिड़ावा, झुंझुंनू।	11.09.2024	30.06.2013	श्री हीरालाल गोठवाल, अभिभाषक

7.	**2859/2024** **परमानन्द वर्मा**	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर। 3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, करौली। 5. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर। 6. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर (राज.)।	**11.09.2024**	**30.06.2024**	श्री सलीम खान, अभिभाषक

आदेश की दिनांक : 12.09.2024

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2846/2024 श्याम सिंह वर्मा बनाम प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को उसकी सेवानिवृत्ति की तिथी से तुरंत पहले दिनांक 30.06.2020 को पूर्ण एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि प्रदान की जावे और परिणामस्वरूप उनके पेंशन लाभों को फिर से निर्धारित किया जाकर पेंशन का बकाया राशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, एकट, ब्लॉक सपोटरा जिला करौली राजस्थान में व्याख्याता के पद पर कार्यरत था। अपीलार्थी बाद में अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.06.2020 से सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। (अनुलग्नक–1) सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तिथि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई निर्धारित की जाती है, लेकिन तथ्यात्मक रूप से सरकारी कर्मचारियों को तत्काल पूर्ववर्ती एक पूर्ण वर्ष की सेवा पूरी करने पर

वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि प्रदान की जाती है। इस मामले के मद्देनजर, यद्यपि अपीलार्थी दिनांक 30.06.2020 को सेवानिवृत्त हो चुका है, इसलिए सेवा का एक पूर्ण वर्ष पूरा करने पर वह वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि का हकदार है, जो दिनांक 1.7.2020 को देय है और इस कारण से वह बढ़े हुए वेतन पर पेंशन लाभ पाने का हकदार है। (अनुलग्नक–2) यही विवाद मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष पी. अय्यम्परूमल बनाम रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण एवं अन्य (डब्ल्यू.पी. संख्या 15732/2017) के मामले में उठा था, जिसमें तमिलनाडु राज्य के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए, उसके सचिव सरकार, वित्त विभाग और अन्य बनाम एम. बालासुब्रमण्यम द्वारा सीडीजे 2012 एमएचसी 6525 में रिपोर्ट की गई रिट याचिका को 15.9.2017 के आदेश के तहत अनुमति दी गई थी जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता को सेवा का एक पूरा वर्ष पूरा करने वाला माना जाना चाहिए, हालांकि वेतन वृद्धि की तारीख उसकी सेवानिवृत्ति की अगली तारीख को पड़ती है। तदनुसार उसे एक वेतन वृद्धि दिनांक 1.7.2012 से 30.6.2013 तक की अवधि के लिए काल्पनिक वेतन वृद्धि देने के निर्देश दिए गए है, क्योंकि उन्होंने सेवा का एक पूरा वर्ष पूरा कर लिया है, हालांकि उनकी वेतन वृद्धि दिनांक 1.7.2013 को हुई थी। पी. अय्यम्परुमल (सुप्रा) के मामले में दिनांक 15.9.2017 के आदेश के विरुद्ध दायर एसएलपी को सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 23.7.2018 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया है। इसी प्रकार इसके विरुद्ध दायर समीक्षा याचिका (सी) संख्या 1731/2019 को भी सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 8.8.2019 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया है। इस प्रकार कानून यह स्थापित करता है कि प्रत्येक वर्ष 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी 1 जुलाई को देय वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि का हकदार है, बशर्ते कि उसने सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पहले एक वर्ष की पूरी सेवा पूरी कर ली हो। इस संबंध में, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थियों को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अनुरोध किया गया है कि अपीलार्थी को भी वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि प्रदान की जाए और तदनुसार पेंशन और अन्य लाभों में वृद्धि की जाए। कि इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग ने जवाब दिया कि कि वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष की पहली जुलाई की तिथि निर्धारित करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। राजस्थान सेवा नियमों में भी वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए पूरे एक वर्ष की सेवा की गणना की जाती है। हालाँकि, मामले के उपरोक्त पहलू की अनदेखी करते हुए, अपीलार्थी को वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि प्रदान नहीं की गई है और परिणामस्वरूप वे कम वेतन के साथ सेवानिवृत्त हुए हैं और कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि

अपीलार्थी के पक्ष में संशोधित वेतन निर्धारण भी किया गया है। यही विवाद इस माननीय न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष रमेश चंद गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (सिविल रिट याचिका संख्या 2800ध्2021) एवं अन्य रिट याचिकाओं के मामले में उठा था, जिसमें निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन) केपीटीसीएल एवं अन्य बनाम सीपी मुंडिनामणि एवं अन्य के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया गया था, जिसकी रिपोर्ट (2023)एससीसी ऑनलाइन एससी 401, विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 3420/2023 और विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 1001/2023 में दी गई है। रिट याचिकाओं का भी 17.10.2023 के आदेश के तहत उन्हीं शर्तों के साथ निपटारा किया गया था कि अपीलकर्ताओं को सेवा का एक पूर्ण वर्ष पूरा करने वाला माना जाना चाहिए, हालांकि वेतन वृद्धि की तारीख उनकी सेवानिवृत्ति की अगली तारीख को पड़ती है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को उसकी सेवानिवृत्ति की तिथी से तुरंत पहले दिनांक 30.06.2020 को पूर्ण एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि प्रदान की जावे और परिणामस्वरूप उनके पेंशन लाभों को फिर से निर्धारित किया जाकर पेंशन का बकाया राशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपीले, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 2846/2024 श्याम सिंह वर्मा बनाम प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य